

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 510] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 1982/कार्तिक 18, 1904
No 510] NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 9, 1982/KARTIKA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1982

का. आ. 787 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज
(उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
आदेश करती है, अर्थात् —

- 1 (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कागज (उत्पादन का विनियमन) संशोधन
आदेश, 1982 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रबल होगा ।

2. कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 में, खण्ड 9 में, उपखंड (1) में, “आवेष्ट द्वारा” शब्दों के पूर्व “ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे”, शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 14 (11) 75-कागज]

आर. के. भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 787(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Regulation of Production) Amendment Order, 1982.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, in clause 9, in sub-clause (1), after the words “by order, exempt”, the words “for reasons to be recorded in writing,” shall be inserted.

[No. 14(11)/75-Paper]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.